न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व अपील संख्या : 10 / 2021 GCMS No. 2021 / 395
दायरा तिथि : 25.11.2021
फैसला तिथि : 21-12-22
अपीलान्ट :–

धरमी पुत्री लुम्बाराम जाति मेघवाल
निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. खेताराम पुत्र लम्बाराम जाति मेघवाल निवासी बिसलपुर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत बिसलपुर

–:: आदेश ::–

दिनांक 21-12-22

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्ट धरमी पुत्री लुम्बाराम ने प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2021 केम्प कोर्ट पैरवा में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके पिता लुम्बाराम पुत्र पनाराम के नाम की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर में स्थित रही हैं। जिसके खसरा नंबर 534, 953 है। इस भूमि में प्रार्थीया के पिता के देहांत के बाद प्रार्थीया के बडे पिता के पोते खेताराम पुत्र लुम्बाराम का नाम दर्ज कर दिया तथा अब खेताराम पुत्र भूराराम अपने पिता भूराराम पुत्र भीकाजी क नाम से रजिस्ट्री करवा रहा है। अतः रजिस्ट्री रोके जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केम्प में प्रस्तुत होने तथा नामान्तरकरण को चुनौती देने वाला होने से अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 25.11.2021 को पंजिबद्ध किया गया। तथ प्रकरण में बिसलपुर के मूल नामान्तरकरण संख्या 1078 स्वीकृति दिनांक 5.06.2009 तहसीलदार, बाली से तलब किया गया। तथा साथ ही हितबद्ध पक्ष रेस्पोडेन्ट खेताराम को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं प्रकरण में वर्णित भूमि के सबंध में अन्यथा विवाद न हो इस हेतु उप पंजियक बाली व तहसीलदार, बाली को अपीलाधीन भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 534, 953 कुल खसरा–02 कुल रकबा 2.79 हैक्टर बाबत किसी प्रकार के बेचान दस्तावेज का पंजीयन नहीं करने हेतु निर्देश दिये गये।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को प्रोसेस सर्विस व रजिस्टर्ड डाक से बार बार सम्मन जारी किये जाने के बावजुद रेस्पोडेन्ट संख्या–01 तामील से बचने से न्यायालय द्वारा आदेश 05 नियम 20 सी.पी.सी. के प्रोविजो अनुसार सम्मन दैनिक नवज्योति अखबार में छाया के आदेश दिये गये। जिसकी अनुपालना में अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के सम्मन दैनिक नवज्योति समाचार में छाया करवाये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 का सम्मन दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में छाया होने के बावजुद दिनांक 29.11.2022 की नियत पेशी को अनुपस्थिति रहा, तथा इसके बाद दिनांक 30.11.2022 की नियत पेशी को भी अनुपस्थित रहा। जिससे न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील अपीलान्ट के अनुरोध पर बहस सुनी गई। प्रकरण में तहसीलदार, बाली से मूल नामान्तरकरण संख्या 1078 दिनांक 05.06.2009 प्राप्त न होने से पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण की प्रति को ही द्वितीय साक्ष्य के तौर पर मानते हुये वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में अपील के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि ग्राम बिसलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 534 व 983 कुल खसरा–02 कुल रकबा 2.79 हैक्टर की भूमि अपीलान्ट के पिता लुम्बाराम पुत्र पनाराम कौम मेगवंशी के नाम की खातेदारी की रही है। अपीलान्ट अपने पिता लुम्बाराम की ईकलौती संतान है। अपीलान्ट के पिता लुम्बाराम की मृत्यु के बाद दाखिल नामान्तरकरण संख्या 1078 से लुम्बाराम की भूमि का खेताराम पुत्र लुम्बाराम कौम मेगवशी के नाम इन्द्राज किया गया, जबकि खेताराम लुम्बाराम का पुत्र न होकर बडे पिता का पोता है तथा भूराराम का पुत्र है। उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्व भरा जाकर स्वीकृत होने तथा अपीलान्ट के हितो के विरुद्व होने से निरस्त किये जाने की दलील दी। वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान् कानूनी उद्धहरण आर.आर.टी 2007(1) बअनवान मोहनलाल बनाम बसन्ती में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2006 को पारित निर्णय की प्रति पेश की। जिसके अनुसार– **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 230– प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद भूमि प्रथम श्रेणी के वारिसान में नामान्तरित होनी चाहिये– माता का नाम दर्ज नही किया और केवल पुत्र का नाम दर्ज किया– ऐसा दस्तावेज प्रारम्भतः शून्य है एवं कानून की नजर में अकृत है और जब न्यायालय की जानकारी में आने पर अपास्त होने योग्य है–नामान्तरकरण अपास्त किया तथा "एस" द्वारा पश्चात्‌वर्ती विक्रय शून्य घोषित किया तथा अपास्त किया।**

पेज लगातार.........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

//02//

राजस्व अपील संख्या : 10/2021 GCMS No. 2021/398

अनवान् धरमी बनाम खेताराम वगैरा

अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

इसके साथ ही विद्वान् वकील आपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु के संबंध मे बहस के दौरान कानूनी उद्धरण आर.आर.टी. 2009 (2) बअनवान भंवरसिंह व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु व अन्य मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 मई, 2009 को पारित निर्णय की प्रति पेश की। जिसके अनुसार– राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956– धारा 75 व 135– नामान्तरण के आदेश के विरुद्ध अपील 24 वर्ष बाद अपील पेश की– अति. जिला कलेक्टर व राजस्व मण्डल द्वारा विलम्ब माफ किया गया– मृतक" सी.एस." ने अपने पीछे विधवा, चार पुत्रियाँ और दो पुत्र प्रार्थी व रेस्पोण्डेन्ट नंबर 7 को छोड़ा– निचले न्यायालयों ने निर्णीत किया कि रेस्पोण्डेन्ट जो विधिक वारिसान है, कृषि भूमि, मे हिस्से के हकदार है– भूमि केवल प्रार्थी व रेस्पोण्डेन्ट नंबर 07 के नाम नामान्तरित की– निर्णीत, निचले न्यायालयों ने कोई अविधिकता नहीं की है (पैरा 5)
पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत प्रकरण मे स्वीकार्य तथ्य है कि लुम्बाराम पुत्र पनाराम कौम मेघवंशी फौत हो चुका है, तथा उनके एक मात्र वारिश ईकलौती पुत्री अपीलान्ट धरमी ही है। इसके बावजुद पटवारी हल्का, बिसलपुर द्वारा लुम्बाराम के फौत होने पर दाखिल नामान्तरकरण संख्या 1078 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 खेताराम पुत्र लुम्बाराम कौम मेगवंशी के नाम दर्ज किया गया, जिसको सरपंच ग्राम पंचायत बिसलपुर द्वारा दिनांक 05.06.2009 को स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार प्रश्नगत् नामान्तरकरण संख्या 1078 **ab- intio- void** है। तथा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के पश्चात् अधिकार अभिलेखो मे हुये इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा किये गये बेचान भी प्रस्तुत कानूनी उद्धरण आर.आर.टी. 2007(1) पेज 42 मे प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार पश्चात्वर्ती विक्रय भी शून्य है। जिससे अपीलान्ट की मांग अनुसार ग्राम बिसलपुर का प्रश्नगत् नामान्तरकरण संख्या 1078 स्वीकृति दिनांक 5.6.2009 निरस्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम बिसलपुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 534, 953 कुल खसरा–02 कुल रकबा 2.79 हैक्टर के संबंध मे अपीलान्ट के पिता लुम्बाराम पुत्र पुनाराम के देहान्त बाद दाखिल नामान्तरकरण संख्या 1078 स्वीकृति दिनांक 5.6.2009 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, बाली को इस निर्देश के साथ भिजवाया जाता है कि नामान्तरकरण संख्या 1078 स्वीकृति दिनांक 5.6.2009 को निरस्त करते हुये मृतक लुम्बाराम पुत्र पनाराम कौम मेगवंशी के वारिशान की जांच करते हुये अपीलान्ट व अन्य वारिशान के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना से एक माह में अवगत करावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

भू0 अभिलेख अधिकारी (पदेन)

उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 21-12-22 को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन

बाली, जिला-पाली (राज.)

उप - खण्ड अधिकारी

जिला - पाली

Scanned with CamScanner